

**कार्यालय,  
प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश राजधानी**

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

तकनाम्न- दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय कार्य:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्यकारी कर्तव्यनिष्ठ ऑफिस इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रविधिक संघ 2023-24 हेतु पूर्व से संघीयत विद्यार्थीना सतरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 24-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघत हुई। बैठक में संघ 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कर्तव्यनिष्ठ ऑफिस इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन से सम्बद्धता द्वारा संघ 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसने अखिल प्रदेश स्तर पर हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम: 1513-MAHALWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईटी/डीआईटी/पीसी/आईटी द्वारा संघ 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संघ 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	09	09
2	ELECTRICAL ENGINEERING	09	09
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश राजघ के पत्र संख्या 311/16-2019/12022 टीपीसी-4 दिनांक 08 मई 2023 काय पूर्व से संघीयत संस्थाओं को जॉर के विरुद्ध माननीय गणराज में कानित रिट गारिफा संघय 027/2023 में पारनसी गणराज के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निरगत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कर्तव्यनिष्ठ ऑफिस इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित को एवं सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कर्तव्यनिष्ठ ऑफिस इंडिया, नई दिल्ली के माक के अनुसार संस्था में संस्था कायापन (भूति, भवन, सेवा उपकरण) अदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद संघ 1982 का प्राविधिक शिक्षा परिषद (विनियमवारी 1992, विनियमवारी-2000, संस्था विनियमवारी-2016 एवं संघ-संस्था पर निर्णय शासनवारी को अनुमोदन लॉगी एवं सुक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुक ही प्रवेश शासन के मांग शिक्षा उपकरण उपस्था के अधीन उपकरणों की सुक के सम्बन्ध में संस्था-भाष्य पर नकल द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनवारी प्रनवीं होंगे, और अनुमोदन कार्यकारी किया जाय अनुमोदन होंगे। प्राविधिक समिति द्वारा मई संघ 2023-24 हेतु प्राविधिक अनुमोदन विस्तार जाता है, जो प्राविधिक संघीयत संघे समु होंगे।

- ✓ संस्था में अनुमोदित प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित शर्तों की ही प्रवेश दिना कायापन।
- ✓ संस्था को संस्था-भाष्य पर निर्णय शासनवारी के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता सुक काय करवा होंगे।
- ✓ संस्था काय प्रदेश राजघ द्वारा निर्णय विनियमवारी/अधिनियमवारी/आदेशवारी/शर्तों की एवं निर्धारण, प्राविधिक शिक्षा, उज्जैन, अनुमोदित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन काय अनाको एवं निर्णय, विनियमवारी, अधिनियम, निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यकरी होंगे।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कर्तव्यनिष्ठ ऑफिस इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरक किया जाय तब संघ संस्था में संस्था अनुमोदित संस्था का सुक और निरक संघ से निरक थी कार्यकारी के लिये संस्था संघे अनुमोदित होंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संस्था प्राविधिक शिक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निरकताय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध मई जॉर अद दायर किया जाता है तथा उत्तर काय के संघ में मा. पालनकाय द्वारा निरक प्राविधिक शिक्षा परिषद/कार्यकारी कर्तव्यनिष्ठ ऑफिस इंडिया काय करवा होंगे।
- ✓ संस्थाओं को अनुमोदित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजघ द्वारा प्राविधिक शर्तों के लिये अनुमोदित प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर प्राविधिक कार्यकारी को उपलब्ध कायापन हीय संस्था उन्ने प्रवेश को अनुमोदित प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश राजघ द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-भाष्य पर निर्णय शासनवारी आदेश विनियमवारी का अनुमोदन काय आवश्यकरी होंगे।
- ✓ संस्था को जॉर के अनुसार प्राविधिक शिक्षा के प्रदानकाय पर संस्था का संस्था सुकपूर्व से संस्था की विनियमवारी एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन, शासन, उपकरण, काय किया जाने वाला सुक, शासनकाय सुक अदि का विस्तार उपलब्ध करवा होंगे।
- ✓ संस्था को विश्व प्राविधिक हेतु अनुमोदित पाठ्यक्रम उपलब्ध करने के साय निर्णय शर्तों के सम्बन्ध में संस्था आदेशकाय शर्तकाय सुनित करनी होंगी।
- ✓ संस्था पर सुनितकाय को कि संस्था में प्रस्ताविका/पारनित पाठ्यक्रम को करवा जाने हेतु निर्धारण समिति के समु उपलब्ध कराने एवं अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, उपकरण उन्मादि का मई संस्था द्वारा निरक अना प्राविधिक संघे शासन में प्रवेश किया जाय है और प्राविधिक को सुक की आवश्यकरी होंगी है कि संस्था उपलब्ध काय प्राविधिक संघे अन्य शर्तों के लिये काय वरी है जो संस्था संस्था को सम्बद्धता संस्था किये जाने की कार्यकारी की कार्यकारी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संविधान) और उपसंविधान, संस्थाओं का उपलब्ध शिक्षा संघे विनियमवारी, 2000 के प्राविधिक शासनवारी परिषद की मांग पर अन्ने कार्यकारी, अधिनियम और कार्यकारी की परिषद को प्राविधिक को संस्था के लिये परिषद के अधिकाय में होंगी।
- ✓ संस्था के जैविक शर्तों की शर्तों के शर्तों मई संस्था में भूति, भवन, काय/शासा, उपकरण एवं अन्य साय-संस्था एनआईटी/डीआईटी/पीसी/आईटी/परिषद के शासनकाय उपलब्ध नहीं काय जाय है जो संस्था को सम्बद्धता संस्था काय कर ही जायेंगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुमोदन न किये जाने अना शर्तों का उत्तराधिक किये जाने की स्थिति में निगमनुसार अनुमोदनकाय कार्यकारी की कार्यकारी।

  
 (अजीत कुमार मिश्र)  
 सचिव

दिनांक: 12-09-2023

पृ.सं-0- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

प्रतिष्ठित,  
प्रधानाचार्य/निदेशक, MAHALWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

  
 (अजीत कुमार मिश्र)  
 सचिव

प्रस्तावित प्राविपः

प्रविपत भारततः संसदीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यसि कसुडमिडल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचित संव 2022-23 हेतु विषयगत स्तरीय लखनऊ शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30.08.2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा संव 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रु से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रोक्त संस्था वृद्धि सहित अन्य मादी पर विचार करते हुए संव 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार से निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा संव 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उरगी अंशित प्रवेश सम्मता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1513-MAHALWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/ पी0पी0आइ0 द्वारा संव 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संव 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0पी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

नि संस्था उपरोक्त को प्रयोग किये अन्य शर्तों के लिए बर रही है तो तत्प्रांत संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूडि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0पी0आइ0/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

*Ahan*  
(एफ0आर0 खान)

सचिव

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAHALWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

*Ahan*  
(एफ0आर0 खान)

सचिव

राज्य, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, राज्य परिषद

संख्या- प्राविधिक शिक्षा/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या- दिनांक: 09/08/2021

-आचार्य जीप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फॉर्मो को काठमांडौ ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा विसोक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा/उत्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघमंड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09.08.2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचलन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ परीक्षा क्षमता वृद्धि सहित अन्य मापों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंगिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1513-MAHALWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL- JAKHRIYA, STATION ROAD, ATRAULI, ALIGARH

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पठ/अई/सी/टी/ई/पी/सी/आई/ए द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पठ/अई/सी/टी/ई/पी/सी/आई/ए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करीगी। पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फॉर्मो की पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फॉर्मो की पाठ्यक्रम के

सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की विधि में नियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ.सं- प्राविधिक शिक्षा/सम्बद्धता/2021/3538-4869

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठान:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, MAHALWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL- JAKHRIYA, STATION ROAD, ATRAULI, ALIGARH

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

